VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA

(STATE OPEN UNIVERSITY GOVT OF RAJASTHAN)

REGIONAL CENTRE BIKANER

Sector 9/4-5, Mukta Prasad Nagar, Bikaner-334001 Phone : 94140-24175 Email : rcbkr@vmou.ac.in

क्रमांक : F12/VMOU/RCBKR/EXAM/25/73

DATE : 09.05.2025

कार्यालय आदेश

वर्तमान में उत्पन्न हालात को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन के आदेश क्रमांक 1494 दिनांक 07.05.2025 की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना क्रमांक : F12/VMOU/RCBKR/EXAM/25/3172 DATE : 17.03.2025 के क्रम में आयोजित होने वाले DYS – Diploma in Yoga Science प्रवेश सत्र जुलाई 2024 (परीक्षा सत्र जून 2025 रेगुलर एवं दिसम्बर 2024 डिफाल्टर) के बैच X, XI, XII, XIII के प्रायोगिक कैंप आगामी आदेश तक स्थगित किये जाते हैं | नई तिथि की सूचना वि वि की वेबसाइट एवं सम्बंधित विद्यार्थी को SMS / क्षेत्रीय केंद्र बीकानेर के टेलीग्राम चैनल RCBKR पर प्रसारित की जायेगी |

(बलवान सिंह सैनी)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, क्षेत्रीय सेवा प्रभाग, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा |
2. नियंत्रक (वित्त), लेखा एवं वित्त विभाग, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा |
3. निदेशक संकाय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा |
4. परीक्षा नियंत्रक, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा |
5. सम्बंधित विषय प्रभारी, संकाय विभाग, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा |
6. प्रभारी ई. एम. पी. सी., वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त सूचना को वेबसाइट पर अपलोड करवाने तथा विद्यार्थियों को SMS द्वारा सूचना भिजवाने का श्रम करावें |
7. बिल क्लर्क, क्षेत्रीय केंद्र बीकानेर, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा |
8. रक्षित पत्रावली |

निदेशक

अत्यावश्यक

कार्यालय जिला कलक्टर, बीकानेर

क्रमांक –सीबी / विकास / शिक्षा / स्कूल अवकाश / 2025 / 1494 दिनांक –यथा हस्ताक्षर

–आदेश–

मैं नम्रता वृष्णि, जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला आपदा एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बीकानेर, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीकानेर जिले मे राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आपातकालीन की स्थिति के मद्देनजर स्कूली बच्चों के सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में बीकानेर जिले के कक्षा 12वीं तक के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय (निजी) विद्यालयो/शिक्षण संस्थान/सीबीएसई विद्यालयों/आंगनबाडियों/मदरसों के विद्यार्थियों का दिनांक 07.05.2025 से आगामी आदेश तक अवकाश घोषित किया जाता है तथा दिनांक 07.05.2025 से होने वाली गृह/समान परीक्षा को भी आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है।

जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि इन आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें एवं समस्त संस्था प्रधान/कार्मिक विद्यालय समय अनुसार उपस्थित रहेंगे। यदि कोई संस्था प्रधान द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना की जाती है, तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(नम्रता वृष्णि)
जिला कलक्टर,
बीकानेर

क्रमांकः–सम/1495-1553 दिनांकः–07.05.2025

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदया, बीकानेर संभाग, बीकानेर
02. मुख्य कार्यकारी अधिकारी महो., जिला परिषद, बीकानेर
03. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार (राजस्व)........................ समस्त, बीकानेर
04. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, बीकानेर को भेजकर लेख है कि आप अपने स्तर पर कक्षा 12 वीं तक के समस्त राजकीय/गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं को सूचित कराते हुए, उक्त आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।
05. उप निदेशक, महिला एव बाल विकास विभाग, बीकानेर/जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, अल्पसंख्यक विभाग, बीकानेर को भेजकर लेख है कि आप अपने स्तर पर समस्त आंगनबाडी एवं मदरसों में उक्त आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।
06. जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा), बीकानेर
07. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, (समस्त)............... बीकानेर जरिये सीडीईओ, बीकानेर
08. वरिष्ठ निजी सचिव, कार्यालय जिला कलक्टर, बीकानेर
09. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बीकानेर को स्थानीय अखबारों में प्रकाशित करवाने बाबत्।
10. ....

Signature valid

Digitally signed by Namrata Vrishni
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.05.07 17:59
Reason: Approved